

पत्र संख्या:-14/मु०13-225/2013 - 3 P2
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एस० एम० करीम,
निदेशक (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
पटना विश्वविद्यालय, पटना।

पटना, दिनांक...16/3/15

विषय:- सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-6625/2004 विनोद कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.11.2010 तथा एम०जे०सी० संख्या-2105/2013 विनोद कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-133 दिनांक 27.01.2015 के क्रम में निदेशानुसार कहना है कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-6625/2004 विनोद कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 22.11.2010 तथा एम०जे०सी० संख्या-2105/2013 विनोद कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 16.01.2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुपालन करने हेतु विश्वविद्यालय को किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, विश्वविद्यालय नियमानुसार निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम है एवं स्वंत्रत भी।

विश्वासभाजन,

Asarim
(एस० एम० करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
पटना, दिनांक...16/3/15

ज्ञापांक:- 14/मु०13-225/2013 - 3 P2

प्रतिलिपि:- प्रधान अपर महाधिवक्ता, महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Asarim
(एस० एम० करीम)
निदेशक (उच्च शिक्षा)
16/03/15